DAINIK JAGRAN, Delhi, 2.8.2017
Page No. 8, Size:(4.31)cms X (13.63)cms.

आधार का ब्योरा देने वाला एप बनाया, अब केस दर्ज

नई दिल्ली, प्रेट्र : आधार नंबर से व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराने वाला मोबाइल एप विकसित करने वाले बेंगलुरु निवासी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने इसे अनधिकृत करार देते हुए आधार कानून के तहत मामला दर्ज कराया है। यूआइडीएआइ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे ने यह जानकारी दी। अजय भूषण ने यूआइडीएआइ के डाटाबेस में सेंध लगाने या उसे हैक करने की खबरों का खंडन किया है। इस एप के जरिये आधार नंबर वाले व्यक्ति की अनुमति से ही सूचनाएं हासिल की जा सकती हैं। यूआइडीएआइ प्रमुख ने बताया कि इस एप से आधार धारक व्यक्ति खुद की जानकारी डाउनलोड कर रहे हैं। बारह अंकों वाला आधार नंबर डालने पर संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जाता है। इसके बाद ही जानकारी उपलब्ध होती है। अजय भूषण ने करोड़ों आधार धारकों की व्यक्तिगत सूचनाएं पूरी तरह सुरक्षित होने की बात कही है। उन्होंने सरकारी संस्थाओं के अलावा किसी को भी अपना आधार नंबर न देने की सलाह दी है।